लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़

एकीकृत शिक्षा परिसर, पेंशन बाड़ा, रायपुर

फोन नम्बर– 0771-2331384, 2331385 फैक्स नम्बर–0771-2445215

Kki dekd@e/;kUg Hkkstu@ IkQVo;j fun- 2012@ jk;iij] fnukd

प्रति,

1.समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
2.समस्त सहायक आयुक्त आ.जा.क.विभाग

विषय :– मध्यान्ह भोजन योजना के तहत आन लाइन साफटवेयर में प्रविष्टि सम्बंधी महत्वपूर्ण निर्देश।

–––00–––

विगत दो महिनों से यह देखा जा रहा है कि राज्य के साफ्टवेयर में मासिक प्रविष्टि के पश्चात शालाओं के लिये खाद्यान चांवल का आबंटन ठीक से नही हो पा रहा है। यह समस्या **सा**फ्टवेयर में चांवल की प्रारम्भिक शेष मात्रा की प्रविष्टि सही नही होने, तथा ग्रीष्मावकाश में प्रविष्टि का कार्य पूर्ण नही करने के कारण आ रही है।

साफ्टवेयर की वर्तमान व्यवस्था में विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी के लागइन से मासिक प्रविष्टि के पश्चात ही आंतरिक गणना के आधार पर शालाओं को खाद्यान का आबंटन स्वतः ही हो जाता है। प्रविष्टि पूर्ण होने के पश्चात विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा मासिक प्रविष्टि तथा खाद्यान आबंटन का अवलोकन किया जाता है। यदि अवलोकन करने पर यह ज्ञात होता है कि किसी शाला में चांवल का आबंटन सही नही हुआ है तो, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा इसकी लिखित सूचना, ऐसी शालाओं की सूची सहित जिला शिक्षा अधिकारी को डाटा अग्रेषित करने के साथ ही देना होता है। इसके पश्चात जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा, अपने लागइन से, विकासखण्ड से प्राप्त सूची के अनुसार चांवल की मात्रा में संशोधन कर, पूर्ण रुप से संतुष्ट होने के पश्चात ही, इस डाटा को नागरिक आपूर्ति निगम (नान) को उचित मूल्य की दूकान (पी.डी.एस.) में खाद्यान भंडारण हेतु अग्रेषित किया जाता है।

विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों तथा जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा इस कार्य को गंभीरता से नही लेने के कारण शालाओं को सही आबंटन प्राप्त नही हो रहा है। जिससे डाटा अग्रेषित होने या कूपन जनरेट करते समय इसकी जानकारी होने के बाद इसकी सूचना राज्य कार्यालय/एन आई सी को दी जाती है, लेकिन नान द्वारा भंडारण की कार्यवाही प्रारम्भ करने के पश्चात इसका निराकरण संभव नही हो पाता है। उक्त समस्या को ध्यान में रखते हुये आगामी माह में मध्यान्ह भोजन योजना के मासिक प्रविष्टि संबंधी निम्न निर्देश दिये जाते है –

1. मासिक प्रविष्टि से लेकर नान को आबंटन जारी करने तक का कार्य नियमित रुप से प्रत्येक माह के 10 तारीख तक अनिवार्यतः करना है। किसी माह में अवकाश होने पर भी आबंटन जारी करने तक के, सभी चरणों का कार्य, अनिवार्यतः किया जाना है क्योंकि मासिक प्रविष्टि के कार्य में, एक माह पूर्व अर्थात लाभांवित माह की जानकारी की, प्रविष्ट की जाती है। किसी माह में अवकाश होने पर शाला लगने के दिनों की संख्या भी कम होगी और उसी आधार पर ही चांवल का आबंटन शाला को जारी होगा।

2. आगामी माह (सितम्बर 2012) में प्रविष्टि के समय अगस्त माह के दैनिक उपस्थिति तथा लाभांवित की संख्या की प्रविष्टि के पश्चात साफटवेयर द्वारा आंतरिक गणना के आधार पर शाला के लिये आबंटन जारी होगा। यदि शाला को साफटवेयर जनित आबंटन तथा शाला के लिये आवश्यक वास्तविक आबंटन में अंतर हो तो, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी के लागइन में ही आबंटन की मात्रा को संशोधित करने का प्रावधान होगा। प्रविष्ट माह सितम्बर के मासिक प्रपत्र में 31 अगस्त की स्थिति में शाला में उपलब्ध चांवल की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें।

शाला के लिये अक्टूबर माह में आवश्यक वास्तविक चांवल आबंटन की गणना निम्न उदाहरणानुसार किया जाना है।

<u>उदाहरण 1 –</u>

किसी प्राथमिक शाला X की स्थिति निम्नानुसार है.

1. दर्ज संख्या — 230
2. 31 अगस्त के अंत में शाला में कुल उपलब्ध चांवल — 580 किलोग्राम
3. सितम्बर में शाला लगने की संभावित दिवस — 24 दिन
4. सितम्बर माह के लिये आवश्यक चांवल — 552 किलोग्राम
   (230X24X100/1000=552)
5. अक्टूबर में शाला लगने की संभावित दिवस — 18 दिन
6. अक्टूबर माह के लिये शेष चांवल — 28 किलोग्राम (580 -552=28)
7. अक्टूबर माह के लिये आवश्यक चांवल — 414 किलोग्राम
   (230X18X100/1000=414)
8. अक्टूबर माह के लिये चांवल की वास्तविक — 386 किलोग्राम (414 -28=386)
   आवश्यकता (10 के गुणक में राउंडअप करने पर) 390 किलोग्राम

   अब यदि साफटवेयर में आंतरिक गणना से आबंटन 390 के अलावा अन्य मात्रा हो तो उसे संशोधन कर 390 करना होगा ।

<u>उदाहरण 2 –</u>

किसी प्राथमिक शाला Y की स्थिति निम्नानुसार है.

1. दर्ज संख्या — 90
2. 31 अगस्त के अंत में शाला में कुल उपलब्ध चांवल — 180 किलोग्राम
3. सितम्बर में शाला लगने की संभावित दिवस — 24 दिन
4. सितम्बर माह के लिये आवश्यक चांवल — 216 किलोग्राम
   (90X24X100/1000=216)
5. अक्टूबर में शाला लगने की संभावित दिवस — 18 दिन
6. अक्टूबर माह के लिये शेष चांवल — 36 किलोग्राम (180 -216=-36)
7. अक्टूबर माह के लिये आवश्यक चांवल — 162 किलोग्राम
   (90X18X100/1000=162)
8. अक्टूबर माह के लिये चांवल की वास्तविक — 198 किलोग्राम (162 –(-36)=198)
   आवश्यकता (10 के गुणक में राउंडअप करने पर) 200 किलोग्राम

   अब यदि साफटवेयर में आंतरिक गणना से आबंटन 200 के अलावा अन्य मात्रा हो तो उसे संशोधन कर 200 करना होगा ।

<u>उदाहरण 3 –</u>

किसी पूर्व माध्यमिक शाला Z की स्थिति निम्नानुसार है.

1. दर्ज संख्या — 130
2. 31 अगस्त के अंत में शाला में कुल उपलब्ध चांवल — 500 किलोग्राम
3. सितम्बर में शाला लगने की संभावित दिवस — 24 दिन

4. सितम्बर माह के लिये आवश्यक चांवल 468 किलोग्राम
(130X24X150/1000=468)
5. अक्टूबर में शाला लगने की संभावित दिवस 18 दिन
6. अक्टूबर माह के लिये शेष चांवल 32 किलोग्राम (500-468=32)
7. अक्टूबर माह के लिये आवश्यक चांवल 351 किलोग्राम
(130X18X150/1000=351)
8. अक्टूबर माह के लिये चांवल की वास्तविक 319 किलोग्राम (351 –32=319)
आवश्यकता (10 के गुणक में राउंडअप करने पर) 320 किलोग्राम

अब यदि साफटवेयर में आंतरिक गणना से आबंटन 320 के अलावा अन्य मात्रा हो तो उसे संशोधन कर 320 करना होगा ।

3. निर्देश 2 की तरह ही, अक्टूबर माह की प्रविष्टि के समय, नवम्बर माह में वास्तविक आबंटन की गणना कर साफटवेयर जनित आबंटन में संशोधन किया जाना है। यह सुविधा केवल सितम्बर एवं अक्टूबर माह की प्रविष्टि के लिये ही दी जा रही है। नवम्बर माह से प्रविष्टि की प्रक्रिया वर्तमान में चालू व्यवस्था की तरह ही होगी,जिसमें विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी के लागइन में किसी प्रकार के संशोधन की सुविधा नही होगी। अतः निर्देश 2 एवं 3 का पालन अनिवार्यतः करें।

4. दिसम्बर माह के चांवल के आबंटन के लिये नवम्बर माह की प्रविष्टि के समय भी यदि चांवल का आबंटन सही नही आता है, तो आबंटन में संशोधन की सुविधा केवल जिला शिक्षा अधिकारी के लागइन से होगी। इस संशोधन के लिये विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी को, जिला शिक्षा अधिकारी को डाटा अग्रेषित करते समय ही, संशोधन के लिये लिखित में सूचना देनी होगी। सूचना में उन शालाओं की सूची भी होगी जिन शालाओं के चांवल आबंटन में संशोधन किया जाना है। संशोधन हेतु शालाओं की सूची निम्न प्रारुप में देना होगा –

माह ....के चांवल आबंटन में संशोधन हेतु प्रस्ताव

स.क्र.	शाला का कोड	शाला का नाम	संकुल का नाम	साफटवेयर द्वारा प्राप्त चांवल आबंटन	शाला के लिये आवश्यक वास्तविक आबंटन	अंतर का कारण
1	2	3	4	5	6	7

योग

हस्ताक्षर

विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी

विकासखण्ड ....

जिला ....

5. वर्तमान में शालाओं में प्रवेश का कार्य लगभग पूर्ण हो गया है, अतः सभी शालाओं की मास्टर प्रविष्टि प्रारुप में दर्ज संख्या मासिक प्रपत्र के साथ ही मंगवा लें। इस कार्य को सितम्बर एवं अक्टूबर माह की प्रविष्टि के साथ ही अनिवार्य रुप से कर लें। इसके पश्चात दर्ज संख्या में संशोधन की सुविधा बंद कर दी जायेगी।

6. सितम्बर माह में विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी तथा जिला शिक्षा अधिकारी के लागइन में कुकिंग कास्ट,रसोइयां–सह–सहायक का मानदेय एवं एम.एम.ई. के मद में प्राप्त राशि एवं उसके व्यय/भुगतान की प्रविष्टि का कार्य किया जाना है। अतः अपने सभी मदों के केशबुक की प्रविष्टि पूर्ण कर लें। यह कार्य कार्य वित्तीय वर्ष 2012–13 के प्रथम माह अर्थात अप्रेल 2012 से किया जाना है।

7. मानव संसाधन विकास मंत्रालय के वेब पोर्टल हेतु वार्षिक प्रविष्टि का कार्य अगस्त से चल रहा है। यह कार्य छत्तीसगढ़ राज्य में अत्यंत धीमी गति से चल रहा है, जिसके कारण मानव संसाधन विकास मंत्रालय से छत्तीसगढ़ राज्य को चेतावनी पत्र जारी किया गया है। पत्र में प्रविष्टि पूर्ण करने हेतु निम्नानुसार समय सीमा निर्धारित किया गया है–

वार्षिक डाटा की प्रविष्टि	15 सितम्बर 2012
मासिक डाटा की प्रविष्टि	30 सितम्बर 2012

(अप्रेल 2012 से सितम्बर 2012 तक)

आयुक्त

लोक शिक्षण छत्तीसगढ़